लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल — 462023

क्रमांक / विद्या / मत.दिव. / 2017 / 52 भोपाल, दिनांक 4.01.2017

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।

विषय :— राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2017 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतियोगिताओं के संशोधित विषय।

संदर्भ :— कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / 2—3 / 09 / स्वीप / 2016 / 11747 दिनांक 23.12.2016

— 0 : 0 —

विषयान्तर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को संदर्भित पत्र प्रेषित किया गया है। तद्नुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2017 के उपलक्ष्य में निम्नानुसार चार प्रकार की प्रतियोगितायें की जानी है :—

"युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण"

पत्र दिनांक 5.12.2016 में सुझाये गये विषयों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

स. क्र.	प्रतियोगिता	विषय
1.	निबंध प्रतियोगिता	1. मजबूत लोकतंत्र में युवा एवं भावी मतदाता की भूमिका। 2. नैतिक मतदान में भावी मतदाताओं की भूमिका। 3. लोकतंत्र में महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण।
2.	वाद—विवाद प्रतियोगिता	1. ऑनलाईन मतदान युवाओं की आवश्यकता है ? 2. युवा एवं भावी मतदाता प्रजातंत्र की रीढ़ है ? 3. सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता भावी मतदाताओं के लिये अनिवार्य होना चाहिए ?
3.	स्लोगन प्रतियोगिता	1. भावी मतदाता एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। 2. सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता का चुनावी प्रबंधन में प्रयोग। 3. नैतिक मतदान में भावी मतदाता की भूमिका।
4.	चित्रकला प्रतियोगिता	1. EVM एवं VVPAT 2. आदर्श मतदान केन्द्र। 3. चुनाव में महिलाओं की भागिदारी का महत्व।

उपरोक्त विषय संकेतात्मक है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले की आवश्यकतानुसार इन विषयों में स्वयं के स्तर पर संशोधित अथवा अन्य विषयों को शामिल कर सकते है। परन्तु शामिल किये जाने वाले विषय की मौखिक अथवा लिखित स्वीकृति संदर्भित पत्र की अपेक्षानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 जनवरी 2017 तक पूर्ण कर उनके परिणाम तथा चयन किये गये प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज सहित विशेष वाहक के हस्ते विभाग के नोडल अधिकारी श्री डी0एस0कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल प्रेषित करते हुये आयुक्त लोक शिक्षण को भी सूचित करें।

राज्य स्तर पर जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों में से प्रत्येक विषय पर तीन-- तीन उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन कर जिलों से प्राप्त सभी मूल दस्तावेज सहित परिणाम कलेक्टर भोपाल को 15 जनवरी 2017 से पूर्व पुरस्कार सूची तैयार करने के लिये प्रषित करेंगे। इसकी लिखित सूचना आयुक्त लोक शिक्षण एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भी दी जावे।

प्रतियोगिताओं की अन्य शर्ते मूल पत्र के अनुरूप होंगी। मूल पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

(ए0के0दीक्षित)
संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ0 कमांक/विद्या/मत.दिव./2017/53 भोपाल, दिनांक 4.01.2017

प्रतिलिपि :--

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश "मध्यप्रदेश निर्वाचन" 17, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री डी0एस0कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल ।

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

"मध्य प्रदेश निर्वाचन"

17, अरेरा हिल्स, भोपाल, पोस्ट बाक्स नं. 1164

दूरभाष- 2571924, 2550446, 2553305, 2551282 फैक्स-0755-2555162,

E-Mail: sveepmp@gmail.com, chiefelectoralofficermp@gmail.com

Web-site : www.ceomadhypradesh.nic.in, Face book : CEO MP

आवश्यक

फा.क्र. 2-3/09/स्वीप/2016/11747 भोपाल दिनांक 23 /12/2016

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त मध्यप्रदेश

विषय- राष्ट्रीय मतदाता दिवस- 2017, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन-प्रतियोगिताओं के संशोधित विषय ।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2-3/09/स्वीप/2016/11241 दिनांक 05/12/2016 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल एवं कॉलेज) स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया संदर्भ करें।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस- 2017 की थीम निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

"युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण"

अतएव पत्र दिनांक 05/12/2016 में सुझाये गये विषयों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

स.क्र.	प्रतियोगिता	विषय
1	निबंध प्रतियोगिता	1- मजबूत लोकतंत्र में युवा एवं भावी मतदाता की भूमिका। 2- नैतिक मतदान में भावी मतदाताओं की भूमिका। 3- लोकतंत्र में महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण।
2	वाद-विवाद प्रतियोगिता	1- ऑनलाईन मतदान युवाओं की आवश्यकता है? 2- युवा एवं भावी मतदाता प्रजातंत्र की रीढ़ है? 3- सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता भावी मतदाताओं के लिये अनिवार्य होना चाहिए?
3	स्लोगन प्रतियोगिता	1- भावी मतदाता एवं सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग। 2- सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता का चुनावी प्रबंधन में प्रयोग। 3- नैतिक मतदान में भावी मतदाता की भूमिका।
4-	चित्रकला प्रतियोगिता	1- EVM एवं VVPAT 2- आदर्श मतदान केन्द्र। 3- चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का महत्व।

उपरोक्त विषय संकेतात्मक है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले की आवश्यकतानुसार इन विषयों में स्वयं के स्तर पर संशोधित अथवा अन्य विषयों को शामिल कर सकते हैं। परन्तु शामिल किये जाने वाले विषय की मौखिक अथवा लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 जनवरी 2017 तक पूर्ण कर उनके परिणाम तथा चयन किये गये प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज सहित विशेष वाहक के हस्ते आयुक्त उच्च शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा को पृथक - पृथक प्रेषित करेंगे।

आयुक्त उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा राज्य स्तर पर जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों में से प्रत्येक विषय पर तीन-तीन उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन कर जिलों से प्राप्त सभी मूल दस्तावेज सहित परिणाम कलेक्टर भोपाल को 15 जनवरी 2017 से पूर्व पुरस्कार सूची तैयार करने के लिए प्रेषित करेंगे। इसकी लिखित सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे।

प्रतियोगिताओं की अन्य शर्तें मूल पत्र के अनुरूप होंगी।

(सुनिप द्वारा अनुमोदित)

संजय सिंह

(संजय सिंह बघेल)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (स्वीप)
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 23/12/2016

पृ.क्र. 2-3/09/स्वीप/2016/11748

प्रतिलिपि:-

1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4- आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, गोतम नगर, भोपाल।

की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पूर्व वर्षों की भांति आपके कार्यालय के द्वारा प्रतियोगिताओं के राज्य स्तरीय आयोजन के लिये एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का कष्ट करें तथा उनके अधीन एक-एक निर्वाही सहायक नियुक्त कर उन्हें इस कार्यालय में पूर्व कालीन उपस्थित रहने का निर्देश देने का कष्ट करें। जिला स्तर पर आपके विभाग के अधिकारियों को समय अवधि में प्रतियोगिताएं आयोजित कर परिणाम आपके कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

5- राष्ट्रीय मतदाता दिवस हेतु नियुक्त C.E.O. कार्यालय के नोडल अधिकारी / प्रभारी अधिकारी की ओर पालनार्थ।

(संजय सिंह बघेल)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (स्वीप)
मध्यप्रदेश

Mailed on 05/12/16

(1)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश

"मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन"
17, अरेरा हिल्स, भोपाल, पोस्ट बाक्स नं. 1164
दूरभाष– 2571924, 2550446, 2553305, 2551282 फैक्स– 0755–2555162,
E-Mail: sveepmp@gmail.com, chiefelectoralofficermp@gmail.com, ceo_madhyapradesh@eci.gov.in
Web-site: www.ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 2–3/09/स्वीप/2016/11241 भोपाल दिनांक 05/12/2016

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त मध्यप्रदेश

विषयः– 7th राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2016 के संबंध में जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराने विषयक।

संदर्भः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2016

पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय एवं स्कूल स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जावेगा। प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु विषय एवं थीम के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देश उपरांत आपको सूचित किया जावेगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में प्रतियोगिताएँ आयोजित कर चयन की सूची आयुक्त उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग, आयुक्त स्कूल शिक्षा को भेजेगें। इन विभागों के नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित कराकर उत्कृष्ट प्रतिभागी का चयन कर उसकी सूची कलेक्टर भोपाल को देगें। कलेक्टर भोपाल राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कार वितरण करवाने के लिए समन्वय का कार्य करेंगे। इस हेतु नोडल अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नंबर कलेक्टर भोपाल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश में दिया है जो आपको मेल से भेजा जा चुका है।

<u>जिला एवं तहसील स्तर की प्रतियोगिताएँ–</u>

जिला एवं तहसील स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 7th राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुरस्कृत किया जावे।

1– उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर।

2– महाविद्यालय स्तर।

<u>प्रतियोगिता के विषयः–</u>

<u>निबंध के विषयः–</u>

1– भारत वर्ष में समावेशी भागीदारी के अंतर्गत निःशक्त जन, आदिवासी समूह, बेघर व्यक्ति, थर्ड जेण्डर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने हेतु विशेष प्रयास।

2– समावेशी एवं गुणात्मक मतदाता भागीदारी। (Inclusive and Qualitative Electoral Participation) अप्रवासीय भारतीय, सेवा वोटर्स (सेना) तथा निःशक्त जनो का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

3– भारत वर्ष में महिला सशक्तिकरण से लोकतंत्र मजबूत होगा।

(2)

वाद-विवाद प्रतियोगिता के विषयः-

1- राष्ट्रीय मतदाता दिवस - गौरव दिवस।

2- भारत वर्ष में समावेशी भागीदारी के अंतर्गत निःशक्त जन, आदिवासी समूह, बेघर व्यक्ति, थर्ड जेण्डर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

3- समावेशी एवं गुणात्मक मतदाता भागीदारी। (Inclusive and Qualitative Electoral Participation) अप्रवासीय भारतीय, सेवा वोटर्स (सेना) तथा निःशक्त जनो का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

- **स्लोगनः-**

1- निःशक्त जन, आदिवासी समूह, बेघर व्यक्ति, थर्ड जेण्डर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने हेतु विशेष प्रयास।

2- समावेशी एवं गुणात्मक मतदाता भागीदारी। (Inclusive and Qualitative Electoral Participation) अप्रवासीय भारतीय, सेवा वोटर्स (सेना) तथा निःशक्त जनो का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

3- युवा एवं महिलाएं मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं शिकायत नहीं करें।

4- युवा मतदाता देश का भविष्य।

- **चित्रकलाः-**

1- E.V.M. मशीन

2- मतदान केन्द्र

3- चुनाव - प्रचार

4- चुनाव में महिलाओं की भागीदारी

- **राज्य स्तर परः-**

उपरोक्त विषयों पर जिलों में चयनीत प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों में से राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों का चयन किया जायेगा।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारी तथा समन्वय हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा निःशक्त नोडल अधिकारी)

(एस.एस.बंसल) 16
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

(3)

2-3/09/स्वीप/2016/11242 भोपाल दिनांक 05/12/2016

प्रतिलिपिः-

1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा / महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल।

2- आयुक्त महिला बाल विकास, अरेरा हिल्स भोपाल।

3- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।

4- आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग, गौतम नगर।

5- स्वीप पार्टनर्स समस्त विभाग मध्यप्रदेश।

6- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कक्ष सहायक भोपाल।

7- कार्यालयीन कॉल सेन्टर / कंट्रोल रूम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश